



भारतीय रिज़र्व बँक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

संदर्भ : बैपविवि.सं.आइबीडी.20525/23.13.145/2008-09

जून 12, 2009

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किये जाने का निदेश देता है:

" फर्स्ट रेंड बैंक लिमिटेड "

(आनंद सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

बँकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय,, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400001

Department of Banking Operations & Development, Central Office, 12th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400001

टेलिफोन /Tel No: 91-22-22661602 फैक्स/Fax No: 91-22-22705691,,22705692

हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइये।